SYNOPSIS

1. Tittle of the Thesis -

"रायपुर संभाग के अन्तर्गत
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली
एवं उपलब्धियों का विश्लेषण"
(वर्ष 2002–03 से 2012–13)

2. Introduction - रायपुर संभाग सामान्य परिचय :–

छत्तीसगढ़, भारत संघ का 26वां राज्य है ,जिसका गठन 1 नवम्बर 2000 को हुआ है। छत्तीसगढ को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर चार संभागों में विभाजित किया गया हैः–

(i) रायपुर संभाग

(ii) बिलासपुर संभाग

(iii) सरगुजा संभाग

(iv) बस्तर संभाग

रायपुर संभागः– रायपुर संभाग छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है, यह संभाग छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्य भाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार 19°47′तथा 23°7′ उत्तरी अंक्षाश से 80°17′ पुर्वी देशांतर से 83°52′ पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इस संभाग को महानदी और उनकी सहायक नदियां सिंचती है। यह संभाग कृषि प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। चावल के अतिरिक्त इस क्षेत्र मे गेहूं ,चना, मक्का आदि अनाजों की खेती होती है। इस संभाग में लाल–पीली तथा काली मिटटी पायी जाती है। यहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है जो यहां की फसलों के लिए उपयुक्त है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह संभाग चूना पत्थर से समृद्ध है, जिसके कारण इस संभाग में सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित है। यह संभाग आर्थिक रुप से विकसित है, इस क्षेत्र में कई निर्माण ईकाइयां कार्य कर रही है ।

रायपुर संभाग में कुल मिलाकर 10 जिलों को शामिल किया गया है जो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा व बालोद है।

प्रशासनिक व्यवस्था :–

संभागायुक्त
↓
जिलाधीश
↓
अनुविभाग अधिकारी
↓
तहसीलदार
↓
राजस्व निरीक्षक
↓
पटवारी
↓
कोतवाल

<u>छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल</u> :–

छ.ग. गह निर्माण मण्डल का पुनर्गठन म.प्र. शासन के पुनर्गठन अधिनियम 2000 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये विधियों के अनुकुल आदेशों द्वारा म.प्र. राज्य में प्रवृत्त कतिपय विधियों के छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया है। जो गृह निर्माण मण्डल अधिनियम,1972 (क्र. 3 सन् 1973) (म.प्र.) में शामिल है।

क्रमांक 177/3236/32/2003 – राज्य शासन एतद् द्वारा, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से ही छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की स्थापना हुई है। जो 12 फरवरी 2004 से लागू है। यह एक निगमित निकाय है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार है तथा समान मुद्रा है व इसे सम्पति अर्जित करने, धारण करने, तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त है।

<u>मण्डल का गठन</u> –

1.मण्डल में एक अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है तथा अन्य सदस्य के रूप में

i) आवास विभाग, ii) वित्त विभाग।

2. अध्यक्ष, आवास एवं नगर विकास निगम,

3. प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग,

4. राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है,

5. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसका नाम निर्देशित,

6. दो अशासकीय व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है,

7. गृह निर्माण, इन्जीनियरी, वस्तुकला या नगर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है,

8. गृह निर्माण आयुक्त (गृह निर्माण आयुक्त मण्डल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है)

इनके कर्मचारी वर्ग को दो भागों में बांटा जा सकता है– i) सामान्य स्टाफ, ii) तकनीकी स्टाफ।

<u>मण्डल या उसकी समितियों के कामकाज का संचालन</u> –

संचालन कार्य के लिये मण्डल समय–समय पर (तीन मास) में एक सधारण सभा का संचालन करता है जिसमें अध्यक्ष, तथा सदस्यगण उपस्थित रहते है किसी भी प्रश्नों का उत्तर बहुमत के आधार पर निकाला जाता है। मण्डल समय–समय पर समितियों की जो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो ऐसे कर्त्तव्य व कार्यो पूर्ण करने के लिये उचित समझे जाते है।

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल ने अपने कार्यो को पूर्ण करने के लिये अलग–अलग विभाग तैयार किया है जिसे उसने 13 भागों में विभाजित किया है। जिसके आधिकार क्षेत्र सहित तालिका प्रस्तुत है–

	विभाग	कार्यक्षेत्र
1	रायपुर विभाग I	रायपुर, बलौदाबाजार
2	रायपुर विभाग II	रायपुर के एक भाग में
3	रायपुर विभाग III	पुरेंना, धरमपुर, डौडींखुर्द, मुंगी, धनसुली, आरंग, खरोरा, महासमुंद, सराइपाली, बसना
4	रायपुर विभाग IV	रायपुर, धमतरी, गरियाबंद
5	रायपुर पूंजी योजना विभाग I	नया रायपुर
6	रायपुर पूंजी योजना विभाग II	नया रायपुर
7	दुर्ग विभाग	पूरा दुर्ग जिला
8	योजना विभाग दुर्ग	जिला दुर्ग – तारपुरी, धमधा तहसील दुर्ग – भिलाई सिटी बालोद जिला – पूर्ण
9	राजनांदगांव विभाग	सम्पूर्ण राजनांदगांव व कवर्धा जिला
10	बिलासपुर विभाग	बिलासपुर शहर

11	कोरबा विभाग	कोरबा शहर
12	रायगढ़ विभाग	रायगढ़ जिला
13	जगदलपुर विभाग	ज्गदलपुर

इन विभागों के अन्तर्गत छ.ग. गृह निर्माण मण्डल अपने कार्ये को पूर्ण करती है, इनमें से ऊपर वर्णित 9 विभाग रायपुर संभाग के अन्तर्गत कार्यरत है। इन संभागों में कार्य करने के लिये ये अपनी योजनायें तैयार करती है। वर्तमान में चार योजनायें कार्यरत है तथा एक योजना का लक्ष्य रखा गया है। ये योजनायें निम्न हैः–

1. **सामान्य गृह निर्माण योजना** – छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की ओर से सामान्य योजना के तहत मांग के अनुसार उच्च, मध्यम, निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के भवन निर्मित किए जा रहे है। इनमें 2200 करोड़ रूपये की लागत से अब तक उच्च आय वर्ग के 2800 भवन, मध्यम आय वर्ग के 5500, निम्न वर्ग के 4700 तथा कमजोर आय वर्ग के लिये 6000 भवन निर्मित/निर्माणाधीन है।

2. **अटल आवास योजना** – यह सरकार की उन निम्न आय वाले लोग के लिये निर्मित योजना है। जिनकी आवेदित की जाने वाली राशि 60,000 रूपये से अधिक नही है। इस योजना के अन्तर्गत 10,000 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, योजना के अनुसार 560 वर्गफुट जमीन पर 280 वर्गफुट क्षेत्रफल में 2 कमरे, किचन, रसोई, शौचालय तथा स्नानगृह बनाया जा रहा है।

3. **दीनदयाल आवास योजना** – ये योजना उन निम्न आय वर्ग के लिये लागू की गई है जिनकी आवेदित की जाने वाली राशि 1,20,000 से अधिक नहीं है। इसके अन्तर्गत शासन की ओर से 25% मूल्य पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें दो व तीन मंजिल भवनों का निर्माण किया गया है। योजना के पहले चरण में 10,000 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। इसके दूसरे चरण में 6,000 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह योजना के अन्तर्गत कुल 16,000 भवन बनेंगे।

4. **कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना** – ये योजना मध्यम आय वर्ग के लिये लागू की गई हैं। जिनकी आवेदित की जाने वाली राशि 2,00,000 से अधिक नहीं है। ये 600 वर्ग फुट जमीन पर बनाया जा रहा है इसमें 2000 भवनों का प्रावधान है। जिसमें से अभी केवल 700 भवन निर्मित/निर्माणाधीन है।

ये चारों योजनाओं में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है जिसमें भवन निर्मित एवं निर्माणाधीन है इसके अलावा पांचवी योजना जिसे मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अन्तर्गत अटल विहार योजना के नाम से भूमिपूजन किया है। इस योजना में 36 करोड़ रूपये की लागत पर विभिन्न आय वर्ग के लिये 439 मकानों की आवासीय कालोनी का निर्माण किया जाने का प्रावधान है।

ये अपनी योजना के अन्तर्गत मुख्यतः आवासीय परिसर का निर्माण करती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय परिसर सस्ते दर पर लोगों को प्राप्त होता है। लोग अपनी सामर्थता के अनुसार किस्तो में राशि का भुगतान करते है, यह आवासीय परिसर, आवासीय मकान, बहुमंजिला मकान और स्वतंत्र मकान होता है।

छ.ग. गृह निर्माण कार्यक्रम बजट –

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व मंडल– (i) कार्यक्रम, (ii) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट, (iii) पहले से ही नियोजित तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित किये जाने वाले अधिकारियों तथा सेवकों के स्टाम्प की एक अनुसूची एक निश्चित प्रारूप में बनाकर राज्य सरकार को अग्रेषित करता है।

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल वित्त व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा तथा उनके आदेश से स्थानीय प्राधिकारियों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

भूमि का अर्जन एवं व्ययन –

(i) करार द्वारा क्रय करने या पट्टे पर लेने की शक्ति है।

(ii) भूमि या कि उसमें किसी हित का अनिवार्य अर्जन करने के लिये भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) में उपबन्धित की गई रीति में कार्यवाई भी कर सकेगा।

(iii) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, मण्डल उसमें निहित तथा किसी गृह निर्माण स्कीम से समाविष्ट किये गये क्षेत्र में या किसी लगे हुये क्षेत्र में स्थित किसी भूमि भवन या अन्य सम्पत्ति को रख सकेगा या पट्टे पर दे सकेगा, उसका विक्रय कर सकेगा, विनिमय कर सकेगा या अन्यथा व्ययन कर सकेगा।

3. A brief review of the work alredy done in the field –

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के किसी एक पक्ष पर स्नात्कोत्तर स्तर पर लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया है। जो छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मंडल के सम्पूर्ण पक्ष के अध्ययन कार्य के लिए पूर्ण नहीं है।

4. Objectives –

अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिये उद्वेश्यों का निर्धारण आवश्यक है, ताकि हम अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकें । अतः अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिये इस शोध कार्य का उद्वेश्य छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली अर्थात वह कैसे कार्य करती है, उन कार्यो को पूर्ण करते समय कौन–कौन सी समस्यायें आती है, तथा वह उन समस्याओं का सामना करते हुये कैसे सफलता प्राप्त करती है, यही जानकारी प्राप्त करते हुये समाज में. उनकी उपलब्धियो का अध्ययन करना हैं। संक्षेप में मेरा उद्वेश्य – छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली, समस्यायें एवं उपलब्धियों का विश्लेषण करना।

5. Hypothesis -

प्राकल्पना एक कच्चा सिद्धांत है जो शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है यह एक अस्थायी अनुमान है, जिसके आधार पर शोधार्थी शोध कार्य को सही दिशा दे सकता है अतः इस शोध कार्य 'छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियो का विश्लेषण' में मेरी प्राकल्पना है कि छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मंडल अपने कार्यो से उन सभी आय वर्ग के व्यक्तियों जिनमें निम्न आय, मध्यम आय,व उच्च आय स्तर के लोग भाामिल है के लिये सस्ता, सुन्दर व टिकाऊ घर प्रदान करती है तथा साथ ही में उनका यह आदर्श वाक्य 'हम मकान नही घर बनाते है पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते है' यह समाज के लोगो मे कितनी अपनी सार्थकता दिखाता हैं ।

6. Note worthy Contribution in the field of Proposed work-

गत दशक में छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों को सुनिश्चित करना ,उनकी सफलताओं का अध्ययन करना व उनकी योजनाओं में सफलता न मिलने के कारणों की जानकारी ज्ञात कर उन्हें प्रगतिशील बनाने में मदद करना।

7. Proposed Methodology -

प्रस्तुत अध्ययन "रायपुर संभाग के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों का विश्लेषण वर्ष 2002–03 से 2012–13, विषय पर वर्तमान समय में अध्ययन करने के लिये हितग्राहियों से प्रत्यक्ष रुप से सम्पर्क करके प्राथमिक भाोध संम्बधी सामग्री उपलब्ध किया गया है, ताकि शोध कार्य का उद्वेश्य पूर्ण किया जा सके। जिससे समाज में उसकी उपयोगिता का अध्ययन किया जा सके । प्रस्तुत अध्ययन में उन सभी तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया है जों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यों का विश्लेषण करने में आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध प्राथमिक व द्वितीयक समंको पर आधारित है। प्राथमिक समंको के लिये प्रत्यक्ष सम्पर्क, अनुसूची व साक्षात्कार में प्रश्न उत्तर के माध्यम का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष सम्पर्क में हितग्राहियों से, गृह निर्माण मण्डल के सदस्यों से, अलग–अलग विभागों जैसे तकनीकी विभाग, प्रशासनिक विभाग, वित्तीय विभाग, लेखा विभाग, अलग–अलग प्रशासनिक व्यक्तियों से तथा उनसे सम्बंधित कर्मचारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क के माध्यम से आवश्यक सूचनाये एकत्र किया गया हैं। अनूसूची में हितग्राहियों से तथा ऐसे व्यक्ति से जिनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाना सम्भव नही है उनसे अनुसूची के माध्यम से आवश्यक सूचनायें एकत्र किया गया है । साक्षात्कार का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया गया है जो वास्तव में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की सुविधाओं का प्रयोग कर रहे है तथा कर्मचारीगण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे है। इन वर्गो से प्राथमिक संमक प्राप्त किया गया है।

प्राथमिक संमक के अंर्तगत सभी स्थानों के हितग्राहियों जिसमें सभी धर्म, जाति एवं वर्ग के लोगों से संमक एकत्रित्र किया जायेगा तथा रेनडम सेम्पलिंग के माध्यम से अनुसुची व प्रश्नावली द्वारा प्राप्त संमको से निष्कर्ष निकाला जायेगा। आलोवन विलोवन के माध्यम से प्राप्त संमकों से प्राप्त निष्कर्षो को शोध कार्य में प्रयुक्त किया जायेगा।

द्वितीयक समंको के लिये प्रकाशित ग्रंथो, विभागों से संरक्षित अभिलेखो तथा पत्र–प्रत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। समस्त द्वितीयक समंक को प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्ष बातचीत का प्रयोग किया गया है तथा प.रविशंकर शुक्ल वि.वि. सभागार में स्थित प. सुन्दर लाल भार्मा गन्थालय का प्रयोग किया गया हैं। आवश्यकता पडने पर नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता का प्रयोग किया जायेगा। इन दोनों संमकों के माध्यम से शोध परिकल्पना में सफलता प्राप्त करने की कोशिश की गई है इन कोशिश को सफल बनाने के लिये एवं सही विश्लेषण व निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये सांख्यिकीय गणनाएं प्रयोग में लिया गया है।

8. Expected outcome of the Proposed work -

शोध के प्रारंभिक स्तर के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम परिणाम तक हमारी परिकल्पना का शत प्रतिशत परिणाम निकलेगा।

<u>अध्यायों का संयोजन</u>

अध्याय–1 प्रस्तावना :–

1.1 भूमिका
1.2 विषय चयन का औचित्य एवं महत्व
1.3 शोध परिकल्पना
1.4 शोध प्रविधि का अर्थ
1.5 प्रयुक्त शोध प्रविधि
1.6 अध्ययन की सीमाएं

अध्याय– 2 रायपुर संभाग का भौगोलिक एवं आर्थिक परिचय–

2.1 रायपुर संभाग का .ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2.2 रायपुर संभाग की जनसंख्या
2.3 रायपुर संभाग की जलवायु
2.4 रायपुर संभाग की भौगोलिक दशा
2.5 रायपुर संभाग की प्रशासनिक स्थिति
2.6 रायपुर संभाग की आर्थिक स्थिति

अध्याय– 3 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल :–

3.1 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल का आशय
3.2 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के उद्वेश्य
3.3 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की स्थापना
3.4 छ.ग.गृह निर्माण मण्डल का गठन
3.5 छ.ग. ग्रामीण गृह निर्माण मण्डल
    3.5.1 छ.ग.ग्रामीण गृह निर्माण मण्डल का स्थापना
    3.5.2 छ.ग.ग्रामीण गृह निर्माण मण्डल की गठन

अध्याय– 4 छ.ग गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली

4.1 छ.ग गृह निर्माण मण्डल का कार्मिक प्रबंध
4.2 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल का तकनीकी प्रबंध
4.3 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल का वित्तीय प्रबंध

अध्याय– 5 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की प्रशासनिक स्थिति

5.1 सदस्यों के लिये निर्हतायें तथा पदावधि
5.2 मण्डल के अधिकारी तथा कर्मचारी वृन्द
5.3 मण्डल के अधिकार और कर्तव्य

अध्याय– 6 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की योजनायें (रायपुर संभाग के अन्तर्गत)

61 छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की योजनायें
6.2 रायपुर संभाग के अन्तर्गत छ.ग. गृह निर्माण मण्डल की योजनाये
6.3 योजनाये एवं उनका मूल्यांकन
6.4 हितग्राहियों के प्रकार एवं स्वरुप
6.5 हितग्राहियों से प्राप्त समंको का विश्लेषण

अध्याय–7 समंको का विश्लेषण

अध्याय–8 गृह निर्माण मण्डल की उपलब्धियां, समस्यायें एवं सुझाव

8.1 उपलब्धियां
8.2 समस्यायें
8.3 सुझाव

अध्याय– 9 उपसंहार एवं निष्कर्ष

नोट :–शोध कार्य में प्रगति के साथ–साथ अध्यायों के शीर्षकों एवं उप शीर्षकों में परिवर्तन सम्भव है।

संदर्भ ग्रथं सूची .

Bibliography

क्र.	लेखक का नाम	विषय	प्रकाशक / संकलन	वर्ष
1	फरिया बी.एल.	लोक प्रशासन	साहित्य भवन	2010
2	वर्षिक संदर्भ ग्रंथ	भारत 2008 प्रकाशन	विभाग,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार	2008
3	मिश्र. डॉ.सूमेन्द्र नाथ झा डॉ. लक्ष्मीधर	छत्तीसगढ का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास	सेटर बुक हाउस	1998
4	शाह	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध	साहित्य भवन	2006
5	शुक्ल	व्यावसायिक सांख्यिकी	साहित्य भवन पब्लिकेशन	2010
6	शुक्ल डॉ.एस.एम.	व्यावसायिक गणित	साहित्य भवन पब्लिकेशन	2010
7	चराटे संजय	छ.ग. नगर विकास विधि संहिता	इन्डियन पब्लिसिंग कम्पनी	2010
8	भांभरी,चन्द्र प्रकाश	लोक प्रकाशन सिध्दांत एवं व्यवहार	–	1999
9	अग्रवाल डॉ.प्रवीण कुमार	व्यावसायिक प्रबंध के सिध्दांत	–	2009
10	शर्मा, एस.के.	भारत लोग और अर्थव्यवस्था	–	2003
11	मुखर्जी रवीन्द्रनाथ	सामाजिक विज्ञान मे शोध प्रविधि	–	2010
12	अग्रवाल आर.सी.	व्यवसाय प्रशासन एवं प्रबंध	–	2010
13	छ.ग.का सांख्यिकी संक्षेप वार्शिक प्रकाशन			
14	आर्थिक सर्वेक्षण			

15 छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल अधिनियम वार्षिक प्रकाशन
16 छत्तीसगढ गृह निर्माण अधिनियम 1972
17 प्रतियोगिता दर्पण
18 दैनिक पत्रिका नवभारत
19 दैनिक पत्रिका दैनिक भास्कर
20 www.cghb.gov.in
21 www.descg.gov.in

निर्देशक

डॉ. एल. एन. वर्मा

शा.बी.पी.कला,वाणिज्य एवं विज्ञान

महाविद्यालय, आरंग

सह निर्देशक

डॉ. एस.एस. खनूजा

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

शोधार्थी

श्रीमती करूणा देवांगन